न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 05 / 2022 / अपील

उनवान

1. गंगाबाई पत्नि स्व.मांगीलाल जाति धाकड नि. उन्हेल तहसील सुनेल
2. दिनेश पि. स्व.मांगीलाल जाति धाकड नि. उन्हेल तहसील सुनेल
3. दौलतराम पि. स्व.मांगीलाल जाति धाकड नि. उन्हेल तहसील सुनेल
4. शान्तिबाई पुत्री स्व.मांगीलाल जाति धाकड नि. उन्हेल तहसील सुनेल

—— अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल
2. सरपंच ग्राम पंचायत उन्हेल पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

—— रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 05.09.2016 नामा.सं. 1552

ग्राम पंचायत उन्हेल

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री रमेशचन्द नागर

वकील रेस्पोडेन्टस सं. 1 – पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल

आदेश **दिनांक :** 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत उन्हेल द्वारा निर्णित नामा.सं. 1552 दिनांक 05.09.2016 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम उन्हेल की जामबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 381 की आराजी किता 11 रकबा 2.7317 हेक्टर भूमि अपीलांटस के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जो अपीलांटस को मांगीलाल के फोत होने पर प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में ग्राम पंचायत उन्हेल द्वारा दिनांक 05.09.2016 को नामा.सं. 1552 दर्ज कर तस्दीक किया जिसमें शानूबाई पुत्री मांगीलाल [illegible] /40 हिस्सा दर्ज किया गया है। मृतक खातेदार मांगीलाल [illegible] दौलतराम , शांतिबाई कानूनी वारीसान है इनके [illegible] नहीं है। ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

द्वारा मृतक मांगीलाल का नामान्तरण दर्ज करते समय शानूबाई का नाम दर्ज किया गया जबकि मांगीलाल के शानूबाई नाम की कोई पुत्री नहीं है। उक्त खाते में शानूबाई का नाम गलत दर्ज किया गया है। अपीलांटस को दि. 28.03.2022 को जमाबंदी की नकल लेने पर उक्त जानकारी प्राप्त हुई।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत उन्हेल का आदेश नामा.सं. 1552 दिनांक 05.09.2016 को निरस्त कर वादग्रस्त आराजी में से शानूबाई का नाम कम कर मृतक मांगीलाल के कानूनी वारीसान अपीलांटस के खाते में उक्त आराजी को दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ ग्राम उन्हेल के नामा.सं. 1552 , जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 381 की नकल , आधार कार्ड की छायाप्रतियां पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल की ओर से वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मय राजस्व रिकार्ड पेश की तथा दिनांक 09.01.2023 को मौका पर्चा एवं वारीसान की जांच रिपोर्ट पेश की।

वकील अपीलांटस की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम उन्हेल की जामबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 381 की आराजी किता 11 रकबा 2.7317 हेक्टर भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 1552 में वर्णित शजरे में मृतक खोतदार रामीबाई एवं मृतक मांगीलाल के पारिवारिक शजरे में मांगीलाल के दो पुत्र दिनेश , दौलतराम , दो पुत्रियां शानूबाई , शांतिबाई व बेवा गंगाबाई का होना बताया। तहसीलदार सुनेल से प्राप्त वारीसान की जांच रिपोर्ट अनुसार मृतक मांगीलाल के दो पुत्र दिनेश , दौलतराम , एक पुत्री शांतिबाई व बेवा गंगाबाई का होना बताया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नामा.सं. 1552 में मृतक खातेदार मांगीलाल का शजरा गलत बनाकर नामान्तरण तस्दीक किया गया है। ग्राम पंचायत उन्हेल द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक करते समय किसी प्रकार की जांच का अंकन नहीं कर नामा.सं. 1552 में मुताबिक शजरा नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांटस को सुने बिना उक्त नामान्तरण तस्दीक [illegible] कि सही नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:53 IST
Reason: SelfAttested

COURT-2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम उन्हेल की जामबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 381 की आराजी किता 11 रकबा 2.7317 हेक्टर भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 1552 दि. 05.09.2016 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सुनेल को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि मृतक खोतदार रामीबाई एवं मांगीलाल के वारीसान संबंध में समुचित जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner